

4



0920 302371



विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : ₹ 8,54,000/-
 वास्तविक मूल्य : ₹ 4,32,500/-
 स्थानीय शुल्क : ₹ 69,400/-
 परगना : विखनीर

यह विक्रय विलेख जोय मुख भेड़, निवाली-मुजफ्फर नगर
 भुलवल, परगना विखनीर, तहसील व जिला लखनऊ

वि. 28/09/14

पञ्चमं चैव नृपः सत्त्वतः

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

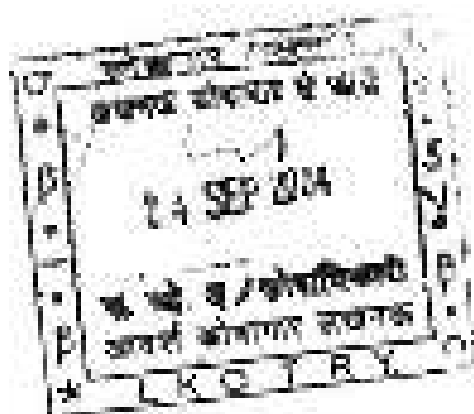


.....

.....



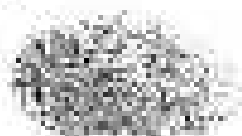
0300 302372



- 2 -

लखनऊ जिसे अग्रे विख्यात कहा गया है, एवम् अपना घर, प्रोपर्टी प्राइवेट लि० रजिस्टर्ड आफिस-1101 राजस्थानी हाऊस, राजस्थानी मार्ग, नई दिल्ली, वर्तमान पता-तृतीय तल, पार्सिएण्टली०२० बिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ द्वारा प्राधिकृत अस्ताशरी श्री के०के०सिंह लखनऊजन्यक, पुत्र स्व. महेश सिंह वर्तमान एवं स्थायी पता- तृतीय तल, पार्सिएण्टली०२० बिल्डिंग, 13-राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिसे अग्रे कहा गया गया है, के मध्य निष्पटिल किया गया।

1-10-2014



2014

14

काठमाडौं, २०७३, चैत्र १५

सिद्धिचरण-२०७३

सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला

समाजिक विकास विभाग, कैलाली जिल्ला, धनकुटा

सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला

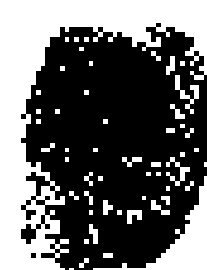
सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाजिक विकास विभाग, कैलाली जिल्ला
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला
समाजिक विकास विभाग, कैलाली जिल्ला
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला
समाजिक विकास विभाग, कैलाली जिल्ला
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला
समाजिक विकास विभाग, कैलाली जिल्ला
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली जिल्ला

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश



समाजिक विकास विभाग, कैलाली जिल्ला

सुदूरपश्चिम प्रदेश



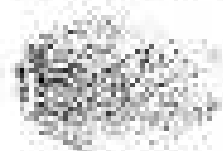
0300 102373



- 3 -

यह कि विहरेता भूमि खसरा नं० 464 रकबा 0.371 हेक्टेअर, खसरा नं० 450 रकबा 0.360 हेक्टेअर, कुल रकबा 0.439 हेक्टेअर विहात ग्राम मुजबकर तहसील घुटावल, पटना-विजनीर, ताहसील व जिला, लखनऊ, का मालिक, कामिल न बाकिज है तथा उपरोक्त सत्यापित प्रत्यक्षिक खसरा खातीद्वी इम संख्या 63 के अनुसार भूमि विहरेता के नाम का अमल दफ्तार राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विहरेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा ज़ेला को इत मित्तम बिलोख द्वारा विकल्प कर रहा है विहरेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कानून व बाकिज है एवं वर्तमान

1. 1000 1000 1000



1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000



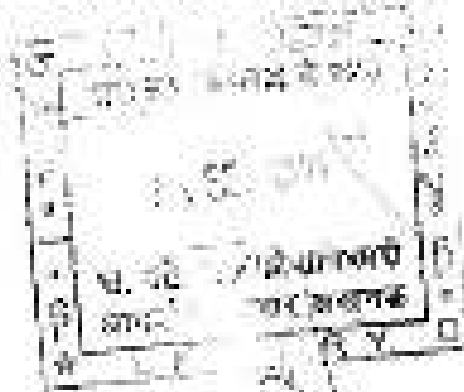
174034

-4-

समय में उचित भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विवेका यह भी ध्यान
 रखता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त
 एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विवेक के पूर्ण चर्चा
 वच, हिजा, गिरवी या अनुबंधित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त
 भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी
 कार्रवाई के अधीन विवाद या बंधन में नहीं है, न ही कुर्क
 इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति
 का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त
 विवेक अन्तर्गत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः उपरोक्त

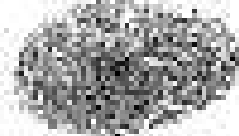
17. 09. 2014

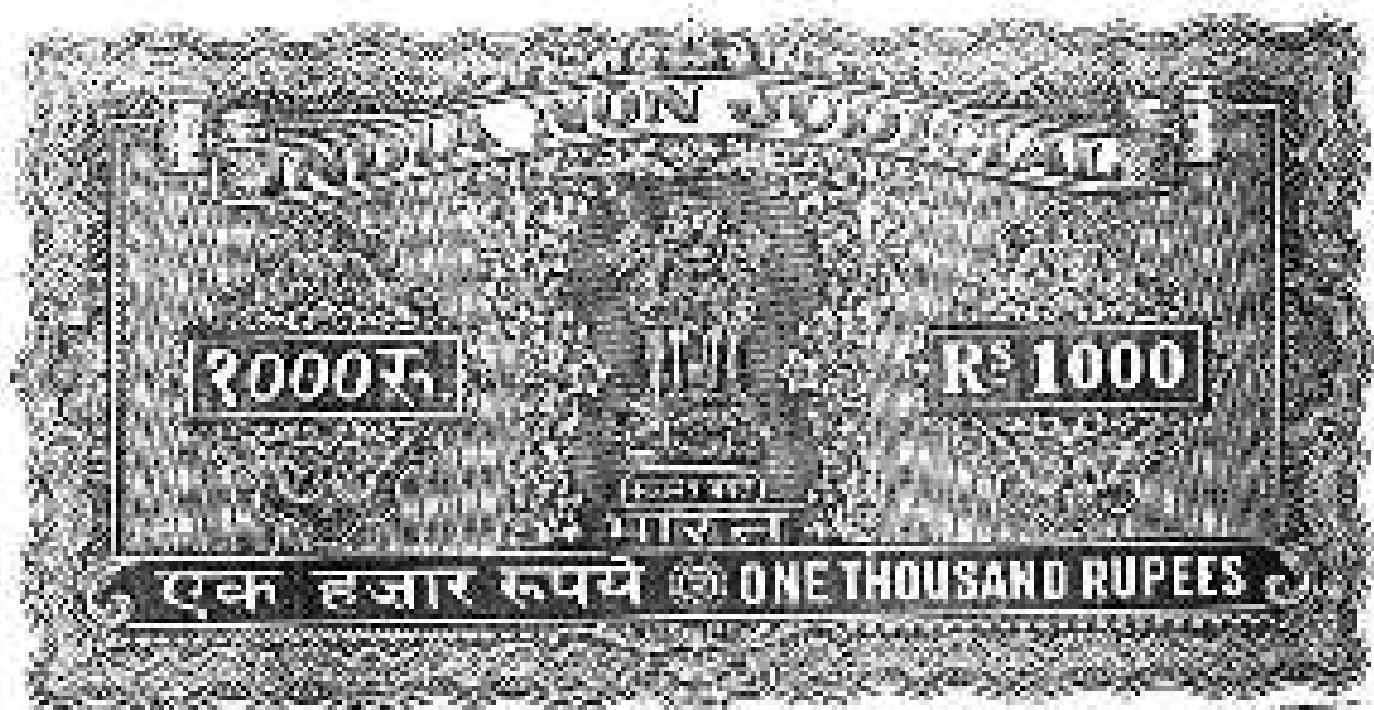




सहमति के फलस्वरूप रु० ६,०४,०००/- (छ: लाख बीस हजार रुपये) के प्रतिफल में जितना कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार तब विक्रेता ऊपर क्रेता के द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा सुमि पत्र पोंके पर बख्शा क्रेता को बख्शी कृत दिया गया है। अब उक्त अदालती पर विक्रेता तथा

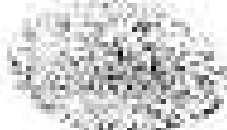
(सहमति के फलस्वरूप)





उसके शरिफान का कोई अधिकार नहीं है। विवेका ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वाधिकार के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हनेश के लिए प्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब प्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसकी प्रत्येक भाग को अपने स्वभाव स्वाधिकार व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपयोग करेगा। विवेका उसी एक ही प्रकार की अद्वयन बाधा नहीं डाल सकेगी एवं न ही कोई नाम बाध सकेगी। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विवेका के स्वाधिकार में नुति के कारण या कानूनी अद्वयन या कानूनी नुति के कारण प्रेता या

श्री ७०५



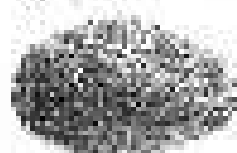


- 2 -

उसके बादिसान निषादकगण इत्यादि के कब्जे का अधिकार भी स्वयं से निकल जाये तो केना उसके बादिसान, निषादकगण इत्यादि को यह एक होगा कि वह अपना सम्बन्ध नुकसान यह हर्जा व स्वर्ण, विवेका की धन, अन्त सम्पत्ति से जस्टिसे अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विवेका एवं उसके बादिसान हर्जा व स्वर्ण देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि केना विज्ञापनार्थ सम्पत्ति की दारिद्र्य त्वादिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विवेका को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विज्ञापन विलेख के पूर्व का अगर

(1. 1944) को भी



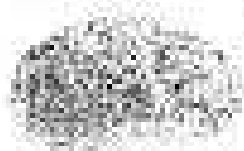
1000 Rs. 1000 Rs. 1000 Rs.

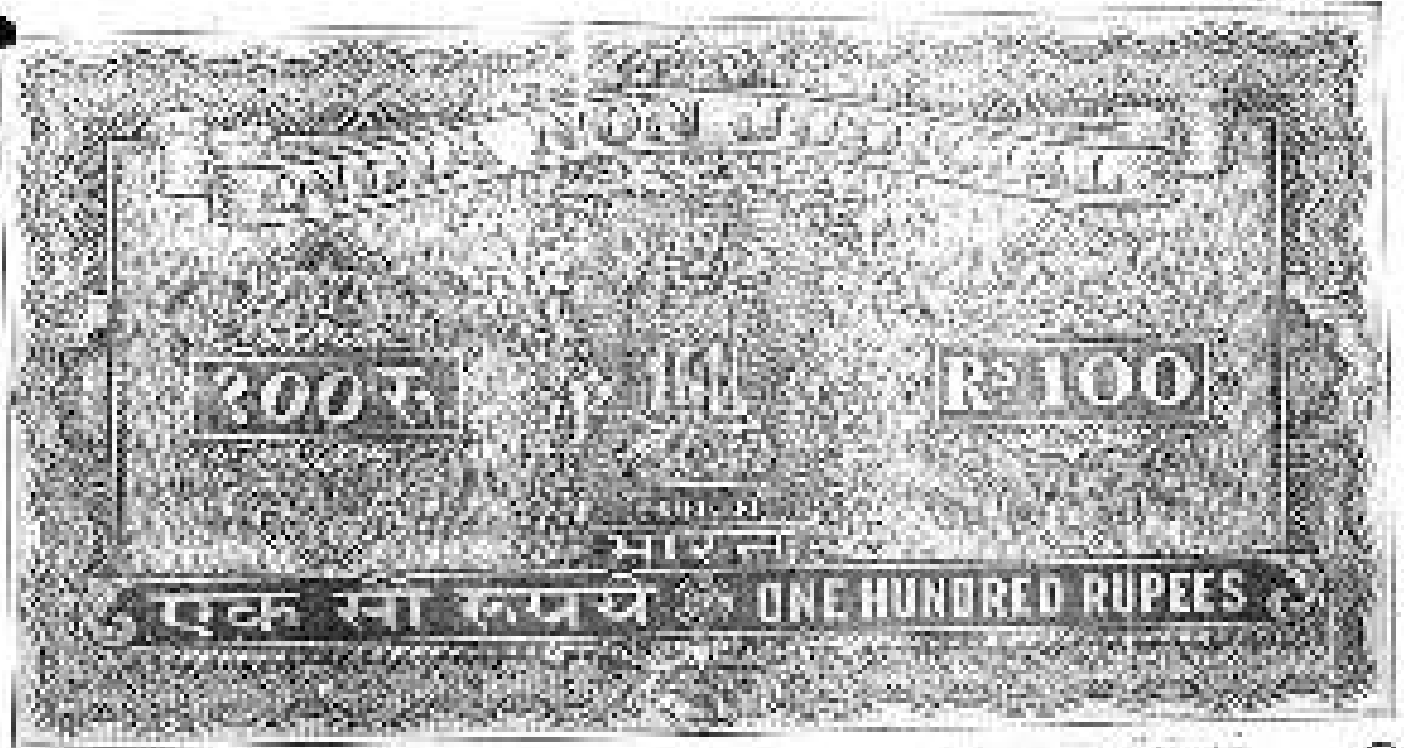


कोई कानून किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा, वहाँकी विवेका भुगतान व नज़र करों, विवेका को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि वसूलीय खराब नम्बर ग्राम मुखपट्ट नगर मुखपट्ट, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशेष काम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित खराब नम्बर रु० 15,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विवेका भूमि 0.439 हेक्टेयर की गणना रु० 4,82,900/- होती है। तथा विवेका भूमि, भूमि की गणना भूमि से अधिक है इसलिए नियमानुसार विवेका भूमि पर ही रु० 50,000/- करण

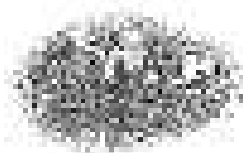
(स. प्र. वि. / क्षेत्राधिकारी)





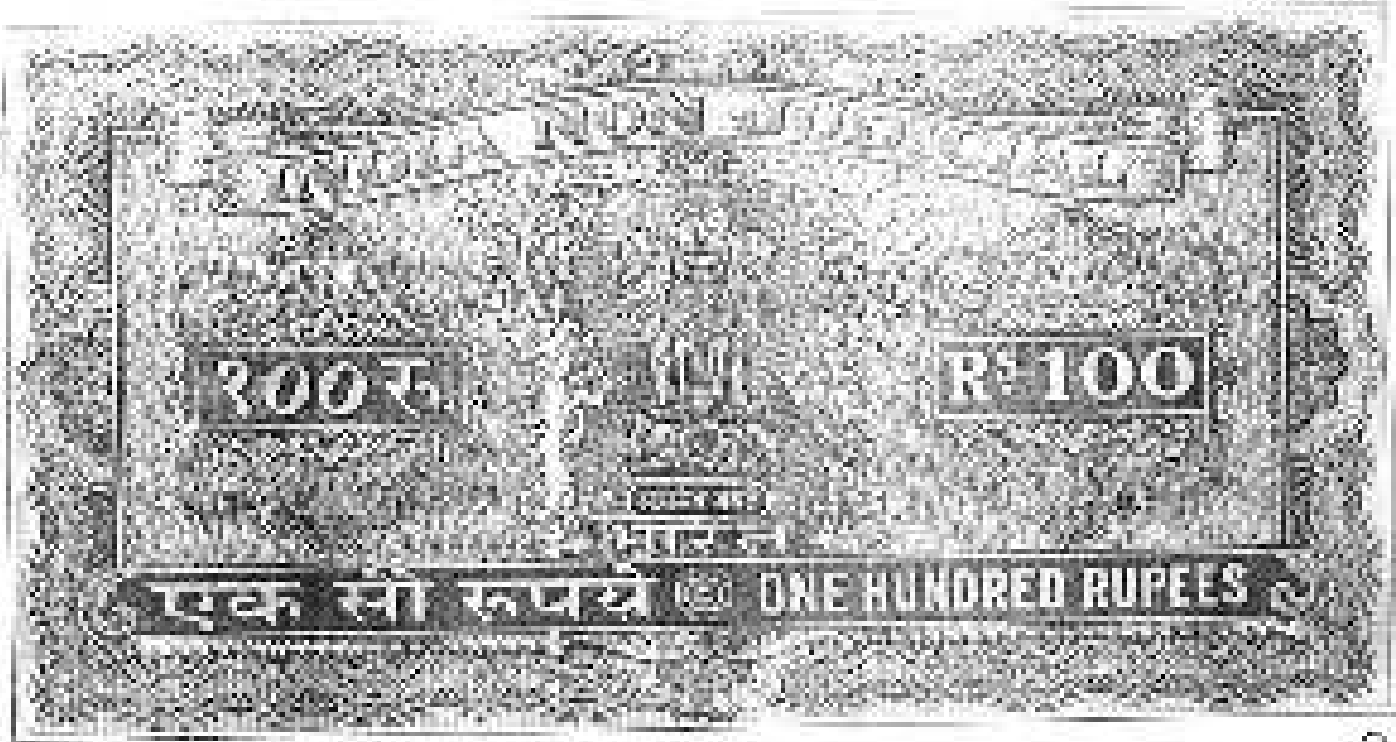
स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए बनायी जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है। तथा 200 मी० के अर्धवास में कोई निर्माण नहीं है। विक्रीत भूमि रेलवे लिंक मार्ग, राज्यमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि मुजफ्फरपुर रोड से लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीत अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्य नहीं हैं। इस निम्नलिखित को निम्नलिखित का सगस्त कार्य प्रस्ताव द्वारा चलाया गया है।

1/1/2000 को 1/1/



1/1/2000 को 1/1/

1/1/2000 को 1/1/



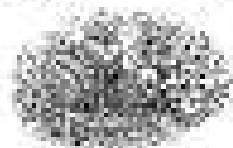
-10-

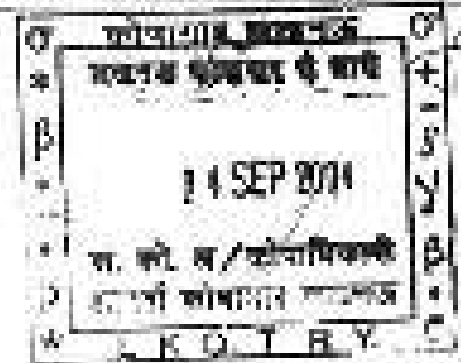
लिखता यह विज्ञापन हम विज्ञापन ने प्रेस के पत्र में लिख दिया ताकि सच हो और आवश्यकता पड़ने पर काम आये।

परिशिष्ट : विज्ञापन विक्रयशुदा संग्रहित का विवरण

मुद्रि संसद नं० 464 रकमा 0.371 हेक्टर, खसरा नं० 450 रकमा 0.008 हेक्टर, कुल रकमा 0.439 हेक्टर स्थित ग्राम कुवाण्ड नगर मुसबल, परगना - बिजनौर, ताहसील व जिला, सखनऊ मिसकी चौकड़ी निम्न है।

1/1/2000 19/1/2000





-11-

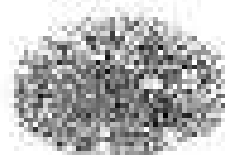
खसरा नं० 464

मुख्य : खसरा संख्या-463
 परिधम : खसरा संख्या-456
 उत्तर : खसरा संख्या-481 व 483
 दक्षिण : खसरा संख्या-472, 468 व 466

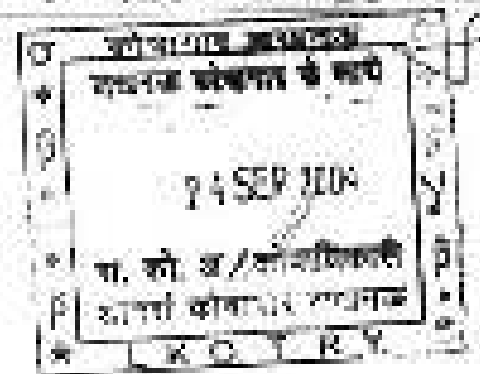
खसरा नं० 452

मुख्य : खसरा संख्या-455
 परिधम : खसरा संख्या-449, 451

14/09/2014
 14



14
 14



- 12 -

उत्तर : खराब संख्या-409
 दक्षिण : खराब संख्या-455
 परिशिष्ट : भुगतान विवरण

रु० 8,07,250/- (8 लाख सौ हजार दो सौ पचास मात्र) द्वारा बैंक ऑफ़ संख्या-598-455 लिफाफे 25.09.2004 पंजाब नेशनल बैंक, ह्यरतगंज, लखनऊ व रु० 86,750/- (अठ्ठ्या छियासी हजार सात सौ पचास मात्र) भुगत इस प्रकार

(स. को. अ. अ. 598-455)



MR. B. S. SINGH, M. A.

(स. को. अ. अ. 598-455)

मूल रु० 6,94,000/- (रुपय 18 लाख चौरासबे हजार मात्र)
विक्रेता को भोता से प्राप्त हुए तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार
करते हैं।

लक्षणनर

दिनांक 25.09.2004

गवाह

1. 

विक्रेता से प्राप्त हुए पैसे
मिलाई (रुपय 6,94,000/-)
की इस रकम पर भोता से

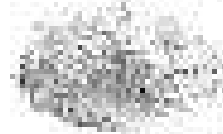
2. 

विक्रेता से प्राप्त हुए पैसे
मिलाई (रुपय 6,94,000/-)
की इस रकम पर भोता से

दाहिमपुर्जा


(राम सनोरी)





विक्रेता



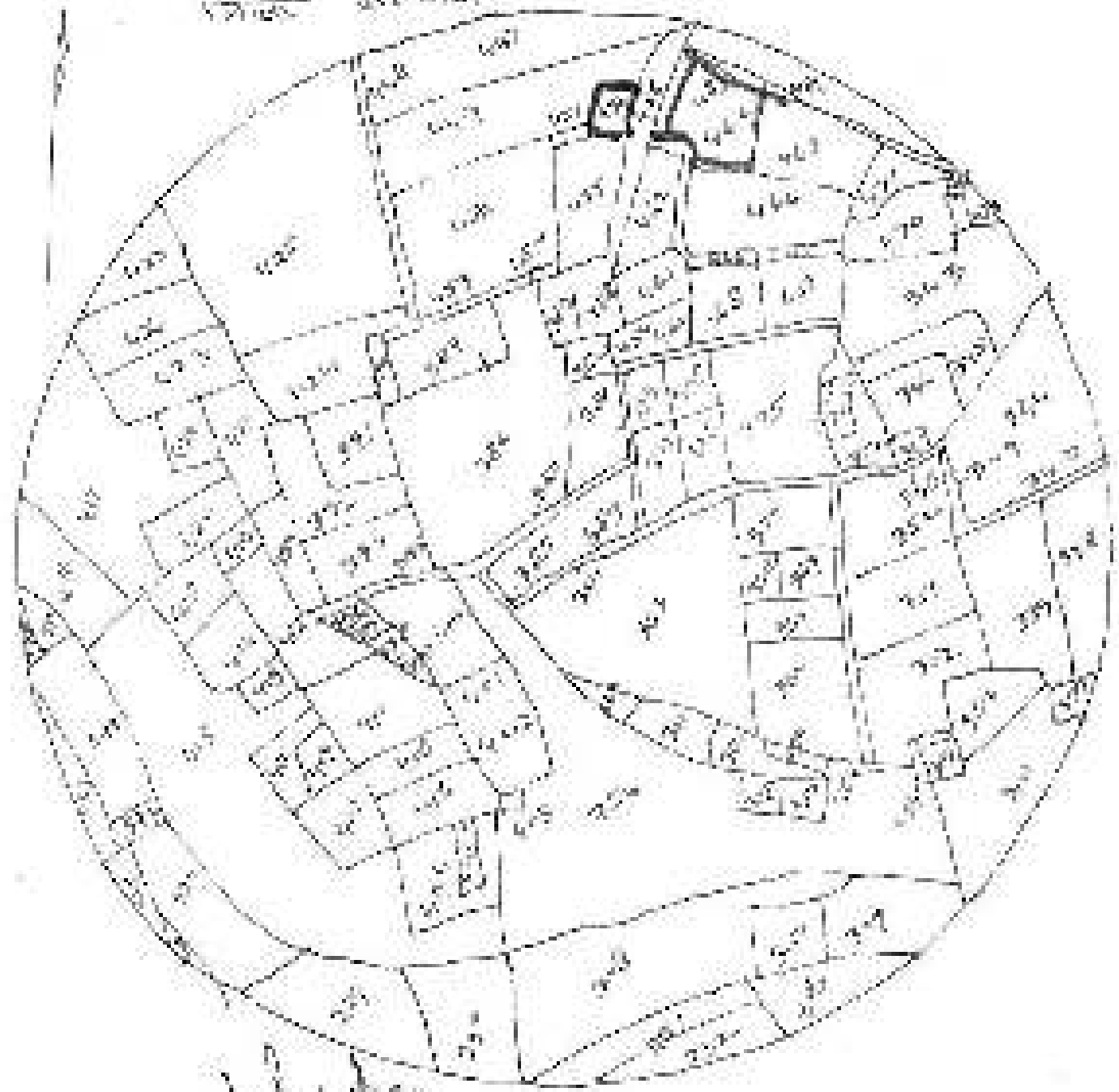
विक्रेता

गसविदाकर्ता


(कमल रामन सिंह)
गसविदाकर्ता

આજીવન સુવર્ણકાન્ડ નાગરિક સુવર્ણકાન્ડ વચ્ચેના ભિન્નતાના નકશા

સિત્તેલ સુવર્ણકાન્ડ



સિત્તેલ સુવર્ણકાન્ડ

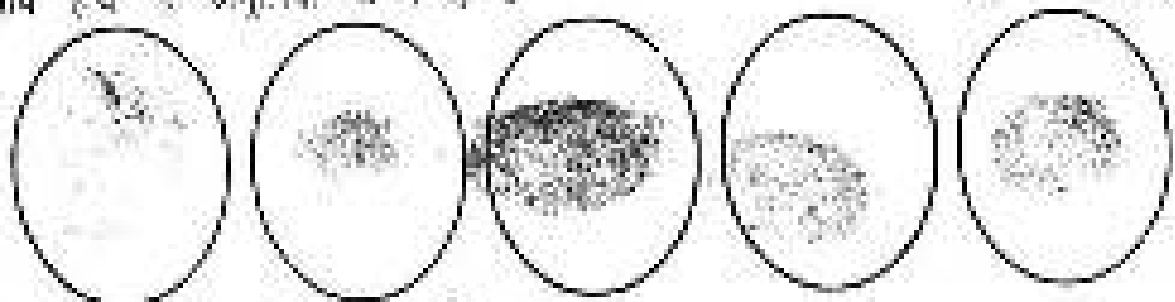
પૃષ્ઠ

પૃષ્ઠ

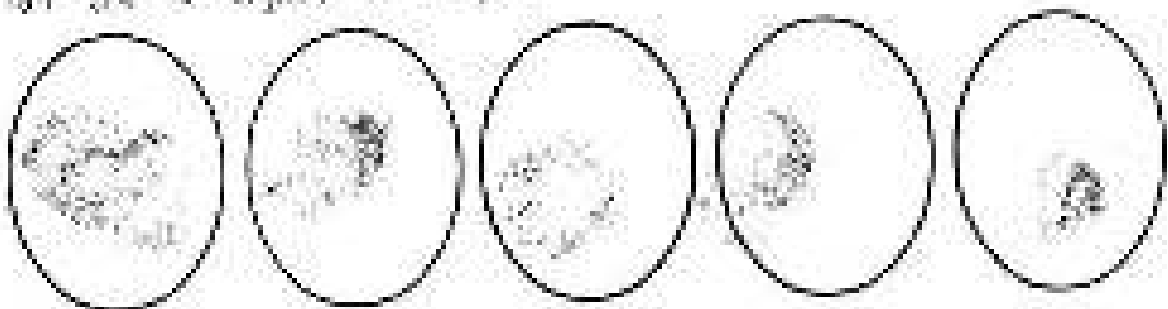


रविस्टेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

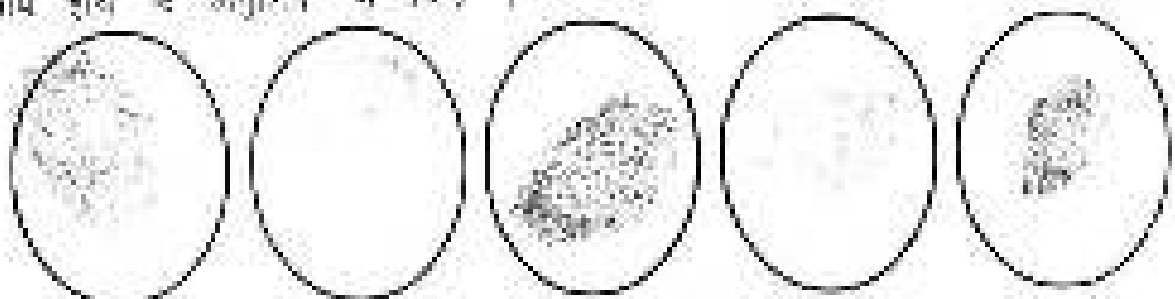
प्रत्यक्षता/प्रमाण का नाम व फा. नं. रजो धर्मा, 35, पानसदा बाजार
रा. ब. क. ल. (दरमिनी जिला) तह. के. हि. प्र.
 बाये हाथ के अंगुलिओं के निम्न : 04.02.2017



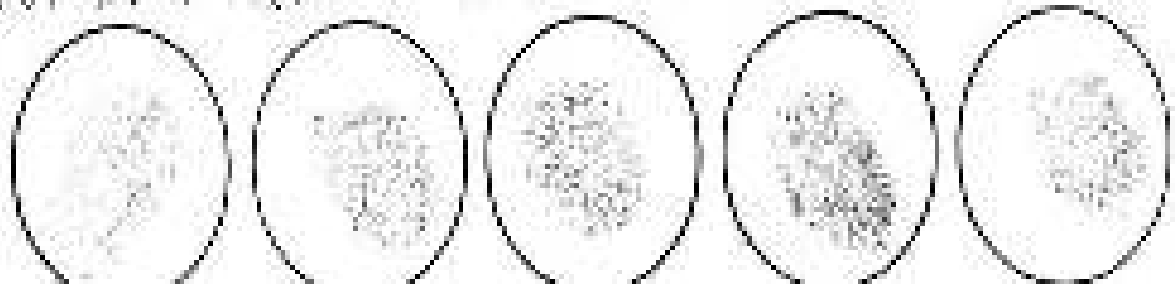
दाहिने हाथ के अंगुलिओं के निम्न :



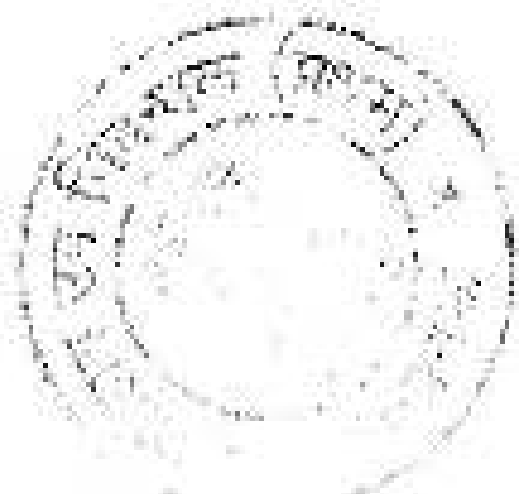
प्रत्यक्षता/प्रमाण का नाम व फा. नं. रजो धर्मा, 35, पानसदा बाजार
रा. ब. क. ल. (दरमिनी जिला) तह. के. हि. प्र.
 बाये हाथ के अंगुलिओं के निम्न :



दाहिने हाथ के अंगुलिओं के निम्न :



APR 27 9 09
Rt 2
384 247
G318



१००० भूज्याकार १००० भूज्याकार १००० भूज्याकार १००० भूज्याकार १००० भूज्याकार
 १००० भूज्याकार १००० भूज्याकार १००० भूज्याकार १००० भूज्याकार १००० भूज्याकार

